राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि0, जयपुर

वार्षिक साधारण सभा

कार्यवाही विवरण दिनांक 05.09.2023

दिनांक 05.09.2023 को राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि0, जयपुर की 18वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक नेहरू सहकार भवन के।प्रथम मंजिल स्थित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के मीटिंग हॉल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रातः 11:00 बजे वर्चुअल माध्यम से प्रारम्भ की गई। कोरम के अभाव में वर्चुअल बैठक स्थगित की जाकर पुनः 12:00 बजे प्रारम्भ की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रशासक श्री विजय कुमार शर्मा ने की। सर्वप्रथम प्रबंध निदेशक आवासन संघ ने उपस्थित सदस्यों का आवासन संघ की ओर से स्वागत किया, तत्पश्चात् प्रशासक महोदय की अनुमति से सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम प्रशासक, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा अपने प्रशासकीय उद्‌बोधन में संघ के क्रियाकलापों तथा संघ का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया तत्पश्चात् प्रबंध निदेशक आवासन संघ ने बैठक का एजेन्डा बिन्दुवार माननीय सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया तथा तदानुसार आम सभा में निम्न निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव संख्या–1

गत बैठक दिनांक 15.07.2022 की कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार।

निर्णय संख्या–1

बैठक दिनांक 15.07.2022 की कार्यवाही प्रबंध निदेशक द्वारा पढ़कर सुनाई गई, जिसकी सदन द्वारा सर्व सम्मति से पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–2

वर्ष 2022–23 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखों की पुष्टि।

निर्णय संख्या–2

वर्ष 2022–23 के अंकेक्षित लेखें सदन के समक्ष रखे गये, जिनकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–3

वर्ष 2022–23 के वार्षिक अंकेक्षण की आक्षेप पूर्ति का अवलोकन एवं अनुमोदन।

निर्णय संख्या–3

प्रबंध निदेशक द्वारा वर्ष 2022–23 के ऑडिट आक्षेपों की पैरावाइज पालना पढ़कर सुनाई गई। जिसकी सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–4

संघ द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023–24 की कार्य योजना का अनुमोदन।

निर्णय संख्या–4

प्रबंध निदेशक द्वारा सदन के समक्ष वर्ष 2023–24 की कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं में 150.00 लाख रू.का ऋण वितरण करने एवं की जयपुर स्थित सहयोग अपार्टमेंट आवासीय योजना के टॉवर–1 में अनुपयोगी जमीन पर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के उपहार सुपरस्टोर का निर्माण कराये जाने की योजना विचाराधीन होने तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर सहकारी संस्थाओं की अनुपयोगी भूमि पर संघ के स्वयं के स्तर पर एवं संबंधित संस्था के साथ मिलकर उसका आवासीय /व्यावसायिक उपयोग किये जाने की योजना है, जिसके अन्तर्गत खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय, जोधपुर से पत्राचार चल रहा है, के संबंध में अवगत कराया गया, जिसकी सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–5

वर्ष 2023–24 के बजट का अवलोकन एवं अनुमोदन।

निर्णय संख्या–5

सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से बजट वर्ष 2023–24 का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया एवं स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या–6

गत वर्ष 2022–23 तक के खर्चो की पुष्टि।

निर्णय संख्या–6

सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से वर्ष 2022–23 तक के खर्चो का अनुमोदन एवं पुष्टि की गई ।

प्रस्ताव संख्या–7

संघ के नियमित कर्मचारियों हेतु आर.जी.एच.एस. योजना लागू करने की पुष्टि एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु आर जी एच एस योजना कॉनफैड के अनुरूप लागू करने पर विचार।

निर्णय संख्या–7

संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा गत वार्षिक साधारण सभा दिनांक 15.07.2022 में माननीय सदस्यगण की भावनाओं के अनुरूप संघ के नियमित कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु आर.जी.एच.एस. योजना लागू करने के निर्णय से अवगत कराया गया, जिसमें नियमित कर्मचारियों का वार्षिक प्रीमियम संघ द्वारा वहन किया जावेगा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के अनुसार कुल एक मुश्त प्रीमियम की राशि की 50 प्रतिशत राशि संघ द्वारा एवं 50 प्रतिशत राशि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा वहन करनी होगी।

इस संबंध में सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति/पुष्टि प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–8

संघ का व्यवसाय बढ़ाने हेतु वित्तीय रूप से सक्षम/सुदृढ़ ग्राम सेवा सहकारी समितियां के माध्यम से आवास ऋण उपलब्ध कराने एवं इस संबंध में पूर्व के ऋण नियमों में आंशिक संशोधन करने पर विचार।

निर्णय संख्या–8

संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा ऋण व्यवसाय में वृद्धि एवं सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप ऐसी सक्षम/सुदृढ़ ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण पूर्व के समितियों के माध्यम से किये जाने वाले ऋण वितरण के नियमों में आंशिक संशोधन के साथ करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है–

1. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देने हेतु समिति को आवासन संघ की सदस्य (500/–रू) बनाकर उनके पात्र सदस्यों को भवन निर्माण/क्रय/रिपेयर रिनोवेशन हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।.
2. उपरोक्त ऋण की अधिकतम सीमा 7 लाख रू.: एवं अधिकतम ऋण की अवधि 7 वर्ष होगी। भवन निर्माण एवं क्रय हेतु ऋण पर ब्याज दर 9.5 प्रतिशत तथा रिपेयर एवं रिनोवेशन हेतु ब्याज दर 11 प्रतिशत होगी। समिति को ऋण पर मार्जिन संघ द्वारा देय नहीं होगा।
3. संघ में वर्तमान में प्रचलित व्यक्तिगत ऋण योजना एवं बेबी ब्लैकेट योजना के अनुरूप शर्तों पर ही उक्त ऋण दिया जा सकेगा। इसमें चूंकि ऋण ग्राम सेवा स. स. के माध्यम से दिया जायेगा, इसलिये ऋण लेने वाले सदस्य के मूल दस्तावेज समिति को तथा समिति द्वारा सदस्यों के मूल दस्तावेज आवासन संघ को बंधक रखने होगें।
4. व्यक्तिगत एवं बेबी ब्लेंकेंट योजना के अनुसार ही ऋण लेने वाले सदस्यों से1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क एवं 1 प्रतिशत डिपोजिट ली जावेगी, जिसमें से डिपोजिट पूर्ण ऋण का चुकारा करने पर वापिस की जा सकेगी।
5. संघ द्वारा दिये जाने वाले ऋण के पुर्नभुगतान की किश्तें मासिक होगी। संघ द्वारा मासिक किश्तों के अग्रिम चैक (कम से कम 3 वर्ष की किश्तों के) संबंधित समिति से तथा समिति द्वारा संबंधित सदस्य से लिये जावेंगे, लेकिन संघ की किश्तें चुकाने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति की होगी।
6. उपरोक्त ऋण संबंधित समिति के सदस्यों को उनकी मासिक आय के वैद्य प्रमाण एवं ऋण चुकाने की क्षमता के अनुसार स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऋण की पात्रता का आंकलन संघ स्तर से किया जावेगा। राजकीय कर्मचारियों/कर्मचारियों जिनका पी. एफ. कटता हो, को प्राथमिकता दी जावेगी।

उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव की सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति/पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–9

अन्य विषय अध्यक्ष/प्रशासक महोदय की अनुमति से।

निर्णय संख्या–9

लक्ष्मीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जोधपुर के प्रतिनिधि श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा शहरी गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों की ओर बकाया अवधिपार ऋण की वसूली हेतु पूर्वानुसार "एक मुश्त समझौता योजना" लागू करने तथा उक्त योजना लागू हो जाने के पश्चात् जोधपुर की समितियों से वसूली हेतु क्षेत्र के जानकर अधिकारी/कर्मचारी भिजवाने हेतु अवगत कराया, जिसके संबंध में संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि संघ द्वारा शहरी गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों की ओर बकाया अवधिपार ऋण की वसूली हेतु पूर्वानुसार "एक मुश्त समझौता योजना" लागू करने हेतु दिनांक 04.09.2023 को प्रशासकीय निर्णय लिया जा चुका है, जिसे शीघ्र ही राज्य सरकार को विभाग के माध्यम से स्वीकृति हेतु भिजवा दिया जावेगा। उक्त योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर जोधपुर की समितियों से वसूली हेतु क्षेत्र के जानकर अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यकतानुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त श्री चौधरी द्वारा समिति के जिन सदस्यों ने पूर्ण ऋण का चुकारा कर दिया है, उनकी जमा हिस्सा राशि समिति को लौटाने हेतु कहा गया। इस संबंध में संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा श्री चौधरी को आश्वस्त किया गया है कि हिस्सा राशि लौटाने के संबंध में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

सभा के अन्त में संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा वर्चुअल उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं प्रशासक महोदय की अनुमति से सभा समाप्त की गई।

प्रबंध निदेशक 05/09/23

प्रशासक